प्रेस विज्ञप्ति

04.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **सोना तस्करी सिंडिकेट** के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत **3.76 करोड़ रुपये** की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत डीआरआई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। डीआरआई ने अवैध चैनलों के माध्यम से तस्करी का सोना ले जाते समय सोने के वाहक को पकड़ा। वाहक के कब्जे से बरामद सोना विदेशी मूल का था और विजय बैद उर्फ विक्की द्वारा रायपुर में खपत के लिए भारत लाया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नागपुर और मुंबई में तस्करी कर विदेशी सोना मंगाया और सप्लाई किया। सोना भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया गया। इसके बाद विजय बैद ने तस्करी कर लाए गए इस सोने को सुनील कुमार जैन (मेसर्स सहेली ज्वैलर्स), प्रकाश सांखला (मेसर्स नवकार ज्वैलर्स), मेसर्स सुमित ज्वैलर्स, पुरुषोत्तम कवले (मेसर्स सागर ज्वैलर्स) और धीरज बैद समेत कई ज्वैलर्स को बेचा।

इस मामले में, तस्करी किए गए विदेशी मूल के सोने और चांदी के रूप में अपराध की कुल आय 260.97 करोड़ रुपये (लगभग) आंकी गई है। **आज तक, ईडी द्वारा कुल 64.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त की गई है।**

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।